



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 03.05.226

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 269/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त 02 ईंट, 04 बीयर की खाली कैन, एक जोड़ी चप्पल व प्लास्टिक(डिस्पोजल) गिलास बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.05.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर आवेदक गगन पुत्र बृजपाल निवासी गाँव-डौला, थाना-सिंघावली अहीर, जिला-बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1. विकास पुत्र अशोक 2. दीपक पुत्र राजसिंह



निवासीगण ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत व अन्य साथी नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के चचेरे भाई मूलचन्द उर्फ सोनू पुत्र वीर सिंह को घर से बुलाकर ले जाकर ईंटों से सिर को कुचलकर हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 269/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 269/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त 02 ईंट, 04 बीयर की खाली कैन, एक जोड़ी चप्पल व प्लास्टिक(डिस्पोजल) गिलास बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. विकास पुत्र अशोक निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2. दीपक पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3. रिकू पुत्र मोहरसिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक मूलचन्द उर्फ सोनू की पत्नी से उनका प्रेम प्रसंग था जिसमें मूलचन्द उर्फ सोनू बीच में रोड़ा बन रहा था, इसी के चलते तीनों अभियुक्तों ने मूलचन्द उर्फ सोनू को पार्टी करने के बहाने से ट्यूबवैल पर बुलाया तथा जहां पर सभी ने एक साथ बैठकर बीयर पी उसी दौरान ट्यूबवैल पर पडी ईंटो से तीनों ने ईंटो से चोट मारकर मूलचन्द उर्फ सोनू की हत्या कर दी तथा ईंटे वहीं फेंककर तीनों वहाँ से भाग गये थे ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 02 ईंट
- 04 बीयर की खाली कैन (किंग फिशर),
- एक जोड़ी चप्पल,
- प्लास्टिक(डिस्पोजल) गिलास

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 2-व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 3-उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत
- 4-म0उ0नि0 सीमा सिंह थाना कोतवाली बागपत
- 5-है0का0 151 संदीप दहिया थाना कोतवाली बागपत
- 6-है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 7-है0का0 816 शौकेन्द्र थाना कोतवाली बागपत
- 8-है0का0 533 गजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत
- 9-का0 369 विशाल थाना कोतवाली बागपत
- 10-है0का0 415 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 03.05.2026

थाना छपरौली पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. बिन्दर पुत्र अतरा निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2. प्रवीण पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. शाहिद पुत्र यामीन निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली बागपत
2. उ०नि० श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली बागपत
3. उ०नि० श्री कमल सिंह थाना छपरौली बागपत
4. है०का० 110 सुबोध कुमार थाना छपरौली बागपत
5. रि०का० 361 आकाश कुमार थाना छपरौली बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 03.05.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 किलो 105 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में जुर्म रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 किलो 105 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0

293/2026 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

पवन पुत्र लहरी निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जिला बागपत उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 105 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री मुकेशपाल सिंह थाना बडौत बागपत ।
- 3-है0का0 735 संदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 173 सुमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 03.05.2026

**थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 294/26 धारा 64/351(2)
बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 294/26 धारा 64/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

प्रवीन उर्फ भीम पुत्र सतवीर निवासी ग्राम बाजीदपुर थाना बडौत बागपत उम्र करीब 39 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-है0का0 735 संदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 03.05.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 131/26 धारा 137(2),65(1),115(2),351(2) बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 131/26 धारा 137(2)/65(1)/115(2)/351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में अपहृता को दिनांक 15-04-2026 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लाखन उर्फ लखन पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0896 संजीव कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-रि0आ0387 देवेन्द्र सिंह वघैल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।